

UPGK120009242019



न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन, बांसगाँव, गोरखपुर

उपस्थित:- आशीष कुमार सिंह (उ०प्र० न्यायिक सेवा)

मुलवाद सं० 302/2019

JO Code- UP2438

कमलेश बनाम मुन्नालाल

दिनांक 25-10-2021

पत्रावली पुकार पर पेश। उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 7 ग नियत है।

#### निस्तारण प्रार्थना पत्र 7 ग

प्रार्थना पत्र 7 ग मय समर्थित शपथ पत्र 8 ग वादी कमलेश यादव द्वारा अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 व धारा 151 जा० दी० इस आशय का लाया गया है कि प्रतिवादी प्रथम पक्ष के विरुद्ध वादी द्वारा इम्तनाई व बंटवारा का दावा दाखिल किया गया है। जिसमे सफलता की पूरी उम्मीद है। शिकमी नं० 32 व शिकमी नं० 33 मौजा नजाई के कोर्वा की कार्यवाही में मकान सहन पूर्वज वादी गुलाब अहिर के नाम दर्ज हुआ था। जिसमे वादी का कब्जा दखल चला आ रहा है। वादी व प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष का 2/3 हिस्सा है। प्रतिवादी सं० 1 का 1/3 हिस्सा है। जिसके अनुसार कब्जा दखल चला आ रहा है। विवादित जायजाद संयुक्त है। उसका कोई बंटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवाद प्रथम पक्ष बिना बंटवारा कराये अतिक्रमण व हस्तक्षेप की धमकी दे रहे हैं। यदि प्रतिवादी प्रथम पक्ष निर्माण कर लेंगे तो वादी को अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना है। इसप्रकार वादी द्वारा शिकमी नं० 32 व शिकमी नं० 33 में बिना बंटवारा कराये किसी भी प्रकार के निर्माण से प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष को निषेधित किये जाने की याचना की गयी है।

प्रतिवादी प्रथम पक्ष द्वारा अपनी आपत्ति कागज सं० 21 ग मय समर्थित शपथ पत्र 22 ग के माध्यम से कथन किया गया है कि वादपत्र के अन्त में दर्शित विवादित सम्पत्ति ए, बी, सी, डी के बावत वादी का कोई स्वामित्व व अधिकार नहीं है। विवादित भूमि डीह नं० 67/1/2 का भाग नहीं है ना ही विवादित भूमि शिकमी नं० 32 व 33 है। विवादित भूमि अक्षर ए, बी, सी, डी के उत्तर की जमीन आराजी सं० 26, 27, 28, 29 का भाग है। आराजी सं० 26, 27, 28 के दक्षिण भाग में मकान लगभग 50 साल से उत्तर तरफ सहन में प्रतिवादी का छप्पर, चरन, नाद, खूटा दरख्तान जामुन नीम है। जिसके उत्तर आराजी सं० 29 है। जिसे हम प्रतिवादी ने पंजीकृत बैनामा के माध्यम से उसके मालिक से प्राप्त किया है। आराजी सं० 28 के पश्चिम आराजी सं० 25 है। जिसके मालिक धर्मेन्द्र वगै० है। उसके पूरब आराजी सं० 28 से एक रास्ता दक्षिण से उत्तर जाकर पूरब मुड़कर मुख्य आबादी में चला जाता है। उक्त रास्ता हम प्रतिवादी की सहमति से खड़न्जा भी हो गया है। उक्त रास्ता के पूरब व दक्षिण हम प्रतिवादी का मकान है। जो आराजी सं० 26, 27 व 28 के दक्षिणी आंशिक भाग में है। खड़न्जा रास्ता के उत्तर की भी जमीन सहन आराजी सं० 26, 27, 28 का भाग है। आराजी सं० 28 रकबा 0.016 हे० सरकारी कागजात में बंजर दर्ज रही। जिसमें पिता प्रतिवादी का बनाया पुराना मकान व सहन स्थित है। वादी के पिता श्री रामलक्षण ने उसे अपनी आबादी दर्ज करने हेतु तहसील गोला में आवेदन किया था। जिसकी जांच में पाया गया कि पिता वादी का आराजी सं० 28 पर कब्जा दखल नहीं है। इसप्रकार वादी की पात्रता नहीं मानी गयी व आवेदन पत्र उपजिलाधिकारी गोला द्वारा निरस्त कर दिया गया है। प्रतिवादी का आराजी सं० 26, 28 पर मकान सहन देखते हुए उपजिलाधिकारी गोला द्वारा उसे धारा 123 उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम के

अन्तर्गत स्थापित मानते हुए आबादी श्रेणी 6(2) दर्ज करने का आदेश दिनांक 08-09-1999 को दिया गया। पुराना मकान होने के कारण उक्त ढांचा गिर पड़ रहा था। जिसके स्थान पर प्रतिवादी अपना मकान निर्माण कर रहे हैं। उसकी दीवाले लिण्टर की उचाई तक हो गयी है। वादी ने गलत व झूठे बयानात के साथ स्थगन आदेश पारित करा लिया है। विवादित भूमि आराजी सं० 26, 27, 28 है। उसके पूरब दक्षिण आराजी सं० 177 है। जो डिह साबिक नं० 67/1/2 का नया नं० है। आराजी सं० 26, 27, 28 में स्थित आबादी प्रतिवादी की निजी आबादी है। जिसे स्वयं अर्जित करके प्रतिवादी आबाद है। प्रतिवादी द्वारा गलत तरीके से उक्त सम्पत्ति को पूर्वजी होना कहा जा रहा है। इसप्रकार प्रतिवादी प्रथम पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र 7 ग निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

प्रतिवादी प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर वादी द्वारा प्रति आपत्ति कागज सं० 45 ग मय समर्थित शपथ पत्र 46 ग दाखिल किया गया है। अपनी प्रतिआपत्ति में वादी द्वारा मुख्य रूप से कथन किया गया है कि विवादित जमीन अक्षर ए, बी, सी, डी प्रदर्शित वादपत्र उभयपक्ष की पूर्वजी आबादी की जमीन रही है जो साबिक डीह नम्बर 67/1/2 का भाग है। पुराना डीह आबादी नम्बर 67/1/2 का नया नम्बर 177 है जो खतौनी में आबादी दर्ज है। विवादित सम्पत्ति आराजी सं० 26, 27, 28, 29 का भाग नहीं है। खड़न्जा चकमार्ग के उत्तर स्थित है। जिसका इस मुकदमा से कोई विवाद नहीं है। लेकिन प्रतिवादी ने आपत्ति के पैरा 5 में गलत तरीके से उसे चकमार्ग के दक्षिण पुरानी डीह आबादी की जमीन में होना अपनी आपत्ति में दर्ज कर दिये हैं। जिसकी कोई वास्तविकता नहीं है। विवादित जमीन डीह नं० 67/1/2 के शि० नं० 32, 33 के वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से मालिक व काबिज है, जिसका कोई कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। उभयपक्ष अपनी-अपनी सुविधानुसार काबिज दाखिल है जिसमें वादी व प्रतिवादी द्वितीय पक्ष का हक व हिस्सा 2/3 भाग है। वादी का प्रथम दृष्टया मामला है सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है। प्रतिवादी प्रथम पक्ष अनाधिकार रूप से बिना बंटवारा किये निर्माण कर लेंगे तो उससे वादी व प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष की हक व हिस्सा प्रभावित हो जायेगा। जिससे वादी व प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष की अपूर्णनीय क्षति होगी। इसप्रकार वादी द्वारा प्रतिवादी प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तुत आपत्ति 21 ग खारिज किये जाने की याचना की गयी।

वादी द्वारा फर्द सबूत 10 ग से कोर्दा डीह सन् 1902 कागज सं० 12 ग, नक्शा 13 ग दाखिल किया गया है। फर्द सबूत दिनांक 07-07-2021 के माध्यम से वादी द्वारा फोटोग्राफ्स, प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि दाखिल की गयी है। फर्द सबूत 22-09-2021 के माध्यम से वादी द्वारा मूलवाद सं० 922/2018 के वादपत्र की नकल दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी द्वारा फर्द सबूत 37 ग से नकल जोत चकबन्दी कागज सं० 38 ग, नकल जिल्द बन्दोबस्त 1323 फसली कागज सं० 40 ग, आराजी सं० 26, 27, 28 के बावत उपजिलाधिकारी गोला के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर की गयी कार्यवाही की प्रतिलिपि कागज सं० 41 ग, राजस्व कार्यवाही कागज सं० 42 ग, फर्द सबूत 25 ग के माध्यम से न्यायालय उपजिलाधिकारी गोला के समक्ष दाखिल वाद सं० 367/28-07-99 की प्रतिलिपि कागज सं० 26 ग, न्यायालय उपजिलाधिकारी द्वारा वाद सं० 367/99 में पारित आदेश की प्रतिलिपि कागज सं० 27 ग, उपजिलाधिकारी गोला द्वारा पारित आदेश की प्रतिलिपि 28 ग, कागज सं० 29 ग, 30 ग, 31 ग उद्धरण खतौनी, 32 ग उद्धरण खतौनी व 33 ग उद्धरण खतौनी व राजस्व मैप कागज सं० 34 ग दाखिल किया गया है।

प्रस्तुत मामला दिनांक 02-04-2019 को संस्थित हुआ। न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध नोटिस/सम्मन जारी करने का आदेश पारित किया गया। प्रतिवादीगण के विरुद्ध न्यायालय द्वारा दिनांक 11-11-2019 को तामिला जरिये प्रकाशन पर्याप्त अवधारित किया गया। प्रतिवादीगण लगातार अनुपस्थित रहे। दिनांक 28-01-2021 को प्रार्थना पत्र 7 ग पर आपत्ति हेतु अंतिम अवसर दिया गया। इस बीच वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा० दी० प्रस्तुत कर निषेधात्मक आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी। जिसपर न्यायालय द्वारा आपत्ति आमंत्रित की गयी। प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे। अतएव दिनांक 19-07-2021 को न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को मौके पर यथास्थिति कायम रखने का आदेश पारित किया गया एवं पत्रावली प्रार्थना पत्र 7 ग निस्तारण हेतु नियत की गयी। प्रतिवादीगण

उपस्थित आये एवं उनके द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी। दिनांक 15-09-2021 को प्रतिवादीगण की उपस्थिति में एवं उनके द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के आलोक में कमिशन रिपोर्ट साक्ष्याधीन पुष्ट किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 7 ग पर सुना।

प्रार्थना पत्र 7 ग के निस्तारण हेतु मुख्य रूप से तीन बिन्दुओं का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूर्णनीय क्षति

प्रथम दृष्टया मामला के अन्तर्गत वादी को विवादित भूमि पर स्वयं का स्वामित्व व कब्जा के अतिरिक्त प्रतिवादीगण द्वारा उक्त कब्जा पर अविधिक हस्तक्षेप को साबित करना होता है। प्रस्तुत मामले में वादी द्वारा दावा वादपत्र के अन्त में दर्शित विवादित सम्पत्ति ए, बी, सी, डी अन्तर्गत शिकमी नं० 32 व 33 के बावत प्रतिवादीगण के विरुद्ध शाश्वत व्यादेश के अनुतोष हेतु लाया गया है। इसके अतिरिक्त वादी द्वारा विवादित भूमि में अपना 2/3 हिस्सा प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष से अलग कराये जाने का भी अनुतोष मांगा गया है। प्रार्थना पत्र 7 ग के माध्यम से वादी द्वारा बिना बंटवारा कराये शिकमी नं० 32 व 33 में प्रतिवादी प्रथम पक्ष को किसी भी प्रकार के अतिक्रमण व निर्माण से निषेधित किये जाने की याचना की गयी है।

वादी द्वारा वादपत्र के माध्यम से कथन किया गया है कि शिकमी नं० 32 व 33 वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त सम्पत्ति है। वादपत्र के अन्त में दर्शित विवादित भूमि ए, बी, सी, डी शिकमी नं० 32 व 33 का भाग है। प्रतिवादी प्रथम पक्ष विवादित भूमि में बिना बंटवारा कराये निर्माण कर रहे हैं। प्रतिवादी प्रथम पक्ष को निर्माण से रोका जाना आवश्यक है।

प्रतिवादी प्रथम पक्ष द्वारा अपनी आपत्ति में कथन किया गया है कि उनके द्वारा शिकमी नं० 28 में निर्माण कराया जा रहा है। उपजिलाधिकारी गोला द्वारा आदेश दिनांक 08-09-1999 के माध्यम से शिकमी नं० 28 प्रतिवादी प्रथम पक्ष (मुन्नालाल) के हक में आबादी श्रेणी 6(2) में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया था। जिसकी प्रतिलिपि कागज सं० 29 ग/4 पत्रावली पर संलग्न है। जिसके आधार पर प्रतिवादी प्रथम पक्ष शिकमी नं० 28 के तनहा स्वामी हुए। शिकमी नं० 28 प्रतिवादी प्रथम पक्ष (मुन्नालाल) की स्व अर्जित सम्पत्ति है। वादपत्र के अन्त में दर्शित विवादित भूमि ए, बी, सी, डी की चौहद्दी पूरब मकान वादी, पश्चिम मकान धर्मेन्द्र वगै०, उत्तर रास्ता बादहू जमीन प्रतिवादी, दक्षिण जमीन दुलारे दी गयी है।

विवादित भूमि ए, बी, सी, डी के उत्तर पूर्व कोन पर (अमीन नक्शा 13 ग के अनुसार) सहन वादी होना दर्शित है। राजस्व मैप कागज सं० 34 ग में शिकमी नं० 32 व 33 के उत्तर शिकमी नं० 22 व 34 होना अंकित है। शिकमी नं० 32 व 33 के उत्तर कोई रास्ता राजस्व मैप में दर्ज नहीं है। वादी द्वारा वादपत्र के अन्त में दर्शित विवादित सम्पत्ति ए, बी, सी, डी के दक्षिण तरफ दर्ज शिकमी नं० 27, 28, 29, 30 व 31 को जिस रूप में दर्शाया गया है वह राजस्व मैप कागज सं० 34 ग में शिकमी नं० 27, 28, 29, 30 व 31 की स्थिति से भिन्न है। राजस्व मैप के अनुसार शिकमी नं० 28 के उत्तर पूर्व कोने पर शिकमी नं० 33 से भौतिक सम्पर्क हो रहा है। उक्त तथ्य अमीन रिपोर्ट 12 ग मय नक्शा 13 ग में भी दर्शित है। राजस्व मैप में दर्ज शिकमी नं० 30 का भौतिक रूप में शिकमी नं० 32 व 33 से कोई सम्पर्क होना दर्शित नहीं है जबकि वादपत्र के अन्त में विवादित सम्पत्ति का जो नक्शा बनाया गया है उसमें शिकमी नं० 30 को शिकमी नं० 32 व 33 से सटा दर्शाया गया है। ऐसी स्थिति में जबकि राजस्व मैप कागज सं० 34 ग में शिकमी नं० 32 व 33 की स्थिति व वादपत्र के अन्त में दर्शित विवादित सम्पत्ति ए, बी, सी, डी में भिन्नता परिलक्षित हो रही है। उक्त विवादित भूमि को शिकमी नं० 32 व 33 का भाग मानने का आधार पर्याप्त नहीं है।

प्रतिवादी प्रथम पक्ष द्वारा अपनी आपत्ति में कथन किया गया है कि विवादित भूमि शिकमी नं० 28 का भाग है। राजस्व मैप कागज सं० 34 ग में शिकमी नं० 28 के उत्तर तरफ रास्ता दर्ज नहीं है। तथापि

अमीन नक्शा में विवादित भूमि के उत्तर रास्ता बादहू जमीन प्रतिवादी होना अंकित है। प्रतिवादी प्रथम पक्ष द्वारा अपनी आपत्ति में कथन किया गया है कि उसके द्वारा अपनी आराजी में से रास्ता हेतु जमीन दी गयी है। वह रास्ता शिकमी नं० 25 व 28 के बीच दक्षिण से उत्तर फिर दाएँ मुड़कर पश्चिम से पूरब रुख को मुख्य आबादी तक चला जाता है। उक्त रास्ता के उत्तर तरफ भी प्रतिवादी की जमीन होना अमीन रिपोर्ट में दर्शित है। इसके इतर विवादित भूमि ए, बी, सी, डी के पश्चिम मकान धर्मेन्द्र वगै० होना अंकित है। प्रतिवादी प्रथम पक्ष द्वारा आपत्ति में कथन किया गया है कि धर्मेन्द्र का मकान शिकमी नं० 25 में स्थित है। धर्मेन्द्र का सम्बन्ध जोखन के परिवार से है और जोखन खतौनी कागज सं० 31 ग शि०नं० 25 के स्वामी के रूप में दर्ज है।

प्रतिवादी प्रथम पक्ष द्वारा उपजिलाधिकारी गोला के समक्ष निर्माण किये जा रहे भूमि की पैमाइश के बावत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसकी प्रतिलिपि कागज सं० 41 ग पत्रावली पर संलग्न है। उक्त प्रार्थना पत्र पर उपजिलाधिकारी द्वारा लेखपाल को पैमाइश कर आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था। लेखपाल द्वारा उपजिलाधिकारी को प्रस्तुत आख्या कागज सं० 42 ग पत्रावली पर संलग्न है। अपनी आख्या में लेखपाल द्वारा कथन किया गया है कि वर्तमान समय में मुन्नालाल का मकान शिकमी नं० 28 में निर्माणाधीन है।

निषेधाज्ञा का अनुतोष साम्या के सिद्धान्त पर आधारित है। साम्या का अनुतोष मांगने वाले को स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष आना चाहिए। प्रस्तुत मामले में वादी द्वारा दावा दाखिला के समय विवादित भूमि ए, बी, सी, डी अन्तर्गत शि०नं० 32, 33 की चौहद्दी को दर्ज नहीं किया गया था। वादी द्वारा उक्त चौहद्दी पत्रावली पर अमीन रिपोर्ट दाखिल किये जाने के बाद संशोधन प्रार्थना पत्र के माध्यम से अंकित किया गया है। वादी द्वारा विवादित भू-भाग को शिकमी नं० 32 व 33 का होना कहा जा रहा है जबकि प्रतिवादी प्रथम पक्ष द्वारा शिकमी नं० 28 में निर्माण किये जाने का कथन किया गया है। राजस्व मैप कागज सं० 34 ग में शिकमी नं० 32, 33 व शिकमी नं० 28 की जो स्थिति अंकित है उससे दर्शित है कि शिकमी नं० 28 का शिकमी नं० 32 व 33 से कोई सम्पर्क नहीं है। न्यायालय द्वारा विश्लेषण के आधार पर विवादित भूमि ए, बी, सी, डी शिकमी नं० 32 व 33 का भाग होना साबित नहीं पाया गया है। प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में साबित नहीं है। अतएव मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रार्थना पत्र 7 ग स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

### आदेश

प्रार्थना पत्र 7 ग अस्वीकार किया जाता है। तद्विस्तार प्रार्थना पत्र 7 ग निस्तारित। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 25-11-2021 को पेश हों।

सिविल जज (जू०डि०)

बांसगाँव, गोरखपुर।